न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2022

इन्द्रपाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 9, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रवण पुत्र श्री पन्नाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 15 लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रामप्रताप पुत्र श्री पन्नाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्डनंबर 15 लखूवाली हाल चक 1 जेड. डब्ल्यू.डी –ए– मोधूनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सुमित्रा पत्नी श्रवण जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 15 लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. विजयपाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति बिश्नोईनिवासी चक 1 जेड.डब्लू.डी. –ए– माधूनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. सोनू पत्नी विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 15 लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2022, प्र. सं. 460/2021
अनवान श्रवण बनाम रामप्रताप आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।

उपस्थितः–
श्री भवानी सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 3
श्री रामकुमार बिश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 4, 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दि. 23.05.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का पेश किया। वाद पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

होने पर उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने दिनांक 07.01.2022 को जरिये राजीनामा मूल वाद को डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील पेश होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने राजीनामा पेश किया। और राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का कथन किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. उभयपक्ष ने दिनांक 18.05.2022 को अपील में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निर्णय करने का कथन किया और कथन किया कि मुताबिक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री दिनांक 7.01.2022 में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को चक 1 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 144/387 (43) किला नं. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 पत्थर नंबर 145/387 किला नं0 20, 21, पत्थर नंबर 144/388 (48) किला नंबर 5/0.030, पत्थर नंबर 145/388 (47) किला नं. 1/0.025 है0 कुल 3.598 है0 भूमि में से 2.222 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की पत्नी सोनू रेस्पोडेंट संख्या 5 को 1.376 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 विजयपाल को प्राप्त उक्त भूमि में से 0.506 है0 कृषि भूमि अपीलाण्ट इन्द्रपाल को रेस्पोडेंट संख्या 4 देने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 विजयपाल को प्राप्त भूमि 2.222 है0 में से अपीलाण्ट इन्द्रपाल को 0.506 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2022 रेस्पोडेण्ट संख्या 4 विजयपाल की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested